# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 101-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 30, 2026 (ASADHA 9, 1948 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 30 जून, 2026

**संख्या 848–कृषि.II(5)–2026/3956.–** हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 (2025 का 17) की धारा 22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

**1.** (1) ये नियम हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएँ।

**2.** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 (2025 का 17);

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ''कीट'' से अभिप्राय है, कीट, घुन, घोंघा, स्लग, कृमि, सूत्रकृमि, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, एक्टिनोमाइसेट्स, विषाणु, वायरॉइड्स तथा मोलेक्युट्स के किसी रूप या अवस्था सहित कोई भी जैविक कारक, जो पौधों या पौध उत्पाद को क्षति या हानि पहुँचाने में सक्षम हो तथा इसमें आनुवंशिक रूप से इंजीनियरीकृत या उपांतरित जीव और खरपतवार भी शामिल है;

(घ) ''संक्रमण'' से अभिप्राय है, किसी फसल के लिए हानिकारक किसी कीड़े, कवक अथवा अन्य कीटों से होने वाला संदूषण;

(ङ) ''अनधिकृत बागवानी पौधशाला'' से अभिप्राय है, कोई बागवानी पौधशाला, अनुज्ञप्ति के बिना चलाई जा रही;

(च) ''धारा'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया, फीस तथा दस्तावेज। धारा 4 और 5

**3.** (1) इस अधिनियम के अधीन स्वामी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा जिसे स्वामी द्वारा प्रचारित या विक्रय किए जाने हेतु प्रस्तावित बागवानी पौधों और पौध सामग्री के प्रकार पर आधारित, श्रेणीवार जारी किया जाएगा। फलीय पौधों की दशा में, स्वामी, आवेदन में किस्म और उपकिस्म स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि, अन्य श्रेणियों अर्थात् सब्जियाँ, कंद, मसाले, सुगंध, पुष्प, शोभाकार पौधे, औषधीय और सुगंधित फसलें, अथवा ऐसे अन्य पौधे जिन्हें सरकार, अधिसूचना द्वारा बागवानी पौधों के रूप में घोषित करे, के लिए अनुज्ञप्ति उनके लिए किस्मों और उपकिस्मों के पृथक विवरण की अपेक्षा किए बिना, केवल श्रेणीवार जारी किया जाएगा। अनुज्ञप्ति केवल अनुमोदित श्रेणियों के लिए और फलीय पौधों की दशा में, अनुज्ञप्ति में यथा उल्लिखित विशिष्ट किस्मों और उपकिस्मों के लिए ही वैध होगी।

(2) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप क में hortharyana.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा जिसके साथ फलीय पौधों की दशा में बीस हजार रुपये तथा फलीय पौधों से भिन्न पौधों की दशा में दस हजार रुपये की अनुज्ञप्ति फीस देय होगी। यदि अनुज्ञप्ति अस्वीकार की जाती है, तो प्रसंस्करण लागत के रूप में भुगतान की गई फीस का पाँच प्रतिशत कटौती करने के बाद फीस वापस कर दी जाएगी।

(3) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करवाने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पूर्व प्ररूप क में निर्दिष्ट वेबसाईट पर फलीय पौधों की दशा में दस हजार रुपये तथा फलीय पौधों से भिन्न पौधों की दशा में पाँच हजार रुपये की नवीनीकरण फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करेगा। यदि नवीनीकरण के लिए इनकार किया जाता है, तो प्रसंस्करण लागत के रूप में भुगतान की गई फीस का पाँच प्रतिशत कटौती करने के बाद फीस वापस कर दी जाएगी। यदि स्वामी तीस दिन की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो विलंब फीस के रूप में दो हजार रूपये की राशि प्रभारित की जाएगी।

(4) अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण हेतु प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, अर्थात्:–

(क) पता प्रमाण (स्वामी का परिवार पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा पता प्रमाण के रूप में अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज);

(ख) भू–दस्तावेज (पट्टा विलेख/विक्रय विलेख) अथवा राज्य सरकार द्वारा भूमि, जिस स्थान पर पौधशाला स्थापित की गई है या की जानी है, के प्रमाण के रूप में अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज।

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि स्वामी निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन करता हो, अर्थात्:–

(क) उस फलीय पौधे के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, ज्ञात वंशावली वाले कम से कम पच्चीस मातृ पौधे;

(ख) फलीय पौधों से भिन्न पौधों के लिए न्यूनतम 1000 (एक हजार) वर्ग मीटर स्वामित्वाधीन भूमि या कम से कम 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर ली गई भूमि तथा फलीय पौधों के लिए न्यूनतम 1.0 (एक) एकड़ स्वामित्वाधीन भूमि या कम से कम 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर ली गई भूमि;

(ग) पौधशाला प्रबंधन के संबंध में बागवानी विभाग अर्थात् बागवानी प्रशिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी भी संस्थान अथवा राज्य कृषि/बागवानी विश्वविद्यालयों से कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना;

(घ) मृदा का किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से मृदा–जनित रोगजनकों मुक्ति हेतु परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(6) सक्षम प्राधिकारी, नई अनुज्ञप्ति या नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर या तो स्वयं या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से बागवानी पौधशाला का निरीक्षण करवाएगा। निरीक्षण अधिकारी प्ररूप ख में निरीक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करेगा।

(7) निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक शर्तों को पूरा करता है, तो प्ररूप ग में अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण प्रदान करेगा, जो ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

(8) यदि सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार संतुष्ट नहीं होता है, तो अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण जारी करने से मना कर सकता है तथा ऐसी मनाही के लिए कारण अपने आदेश में देगा जो ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

(9) अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण प्रदान करने अथवा मना किए जाने का प्रत्येक आदेश आवेदन प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(10) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के निगमित निकायों द्वारा बागवानी पौधशाला को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना अपेक्षित होगा।

(11) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति अथवा नवीनीकरण, जारी करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और अधिनियम तथा इन नियमों में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन पाँच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। स्वामी द्वारा अनुज्ञप्ति की वैधता बनाए रखने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(12) सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के अधीन विहित अनुज्ञप्ति फीस, नवीनीकरण फीस तथा प्रतिलिपि फीस को उनकी वास्तविक मूल्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में संशोधित कर सकेगी।

अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण अथवा बागवानी पौधा एवं पौध सामग्री को नष्ट करना।

धारा 7

**4.** (1) सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त, किसी एक या एक से अधिक आधारों पर, इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई या नवीनीकृत की गई किसी भी अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द कर सकता है, अर्थात्:–

(क) यदि स्वामी द्वारा व्यवसाय कपटपूर्ण रीति से संचालित किया जा रहा है;

(ख) यदि स्वामी निम्न गुणवत्ता वाले अथवा संक्रमित बागवानी पौधे अथवा पौध सामग्री का विक्रय करता है;

(ग) यदि विक्रय की गई पौध सामग्री बिल/बीजक में यथा उल्लिखित वास्तविक या उसी प्रकार की नहीं पाई जाती हैं;

(घ) यदि स्वामी बागवानी पौधशाला की शर्तों को सुधारने के लिए समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लिखित आदेशों का कार्यान्वयन करने में असफल हुआ है;

(ङ) यदि स्वामी, सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी अथवा उन द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को बागवानी पौधशाला परिसर में प्रवेश करने से रोकता है।

(2) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निरीक्षण अधिकारी के साथ धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन बागवानी पौधे या पौध सामग्री जिसकी वंशावली अज्ञात हो अथवा निरीक्षण अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, दृश्यमान निर्धारण पर कीटों तथा रोगों से इस हद तक संक्रमित पाई जाए कि उसे किसी भी उपाय से पुनः स्वस्थ नहीं किया जा सकता, को नष्ट करने का आदेश दे सकता है।

(3) पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु पहचान और नष्टकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को स्थल निर्देशांक प्रणाली समाहित विडियोग्राफी तथा अन्य डिजिटल साधनों के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया जाएगा विडियोग्राफी,–

(क) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संक्षिप्त विवरण के साथ प्रारम्भ होगी;

(ख) संक्रमित पौध सामग्री तथा दृश्य लक्षण दर्शाएगी;

(ग) संपूर्ण नष्टकरण प्रक्रिया को रिकार्ड करेगी;

(घ) सुरक्षित डिजिटल फॉर्मेट में संगृहीत किया जाएगा और नष्टकरण की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक अनुरक्षित किया जाएगा तथा अनुरोध करने पर अपील प्राधिकारी या न्यायालय को उपलब्ध करवाई जाएगी:

परन्तु जहाँ कार्यवाहियां न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं या निर्णय की प्रतीक्षा है, वहाँ अनुरक्षण अवधि ऐसी कार्यवाहियों या निर्णय के अंतिम निपटान तक बढ़ाई जा सकती है।

अप्राधिकृत बागवानी पौधशाला का नष्टकरण।

धारा 4 और 7

**5.** सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वतः संज्ञान से पाता है कि कोई बागवानी पौधशाला अनुज्ञप्ति के बिना चलाई जा रही है, तो ऐसी अप्राधिकृत बागवानी पौधशाला के नष्टकरण के आदेश कर सकता है।

प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करना।

धारा 9

**6.** यदि किसी स्वामी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति की भौतिक प्रति गुम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी एक सौ रुपये की फीस के भुगतान सहित ऑनलाइन या भौतिक आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति प्रतिलिपि जारी करेगा।

**7.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने अथवा नवीनीकरण से मना करने अथवा अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप घ में अपील प्राधिकारी को पैंतालीस दिन के भीतर निर्दिष्ट वेबसाईट पर ऑनलाइन अपील कर सकता है। आवेदन के साथ एक हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जाएगी। अपील। धारा 10

**8.** (1) सक्षम प्राधिकारी, व्यक्तियों, जिन्हें अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या नवीनीकृत की गई है या मना की गई है, के नामों सहित अनुज्ञप्तियों का अभिलेख डिजिटल ढंग से या रजिस्टर में प्ररूप ङ में अनुरक्षित करेगा। अभिलेख तथा डाटा अनुरक्षण। धारा 11 और 12

(2) प्रत्येक स्वामी, बागवानी पौधे तथा पौध सामग्री के विक्रय तथा क्रय का संपूर्ण अभिलेख भौतिक अथवा डिजिटल ढंग से प्ररूप च में रखेगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी, उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जा सके।

(3) फलीय पौधों के उत्पादन तथा विक्रय में लगा हुआ बागवानी पौधशाला का प्रत्येक स्वामी–

(क) मूलवृंत तथा सांकुर शाखा के स्रोत का विस्तृत रिकॉर्ड, जिसमें पौधे का वानस्पतिक नाम और उत्पत्ति का स्रोत सम्मिलित हो, प्ररूप छ में अनुरक्षित करेगा;

(ख) बागवानी पौधशाला में सहज दृश्य स्थान पर हरे रंग की पृष्ठभूमि और सफेद वर्ण में लिखी गई पट्टिका पर पौधों के भंडार की स्थिति तथा मूल्य ढ़ांचे का प्रदर्शन करेगा;

(ग) विक्रय किए गए प्रत्येक फलीय पौधे अथवा पौध सामग्री पर किस्म का नाम, आयु, स्रोत तथा मूलवृंत का ब्योरा अंकित करते हुए जलरोधक लेबल या क्यूआर कोड लगाना सुनिश्चित करेगा।

(4) प्रत्येक स्वामी खरीददार को प्ररूप ज में विक्रय रसीद जारी करेगा।

(5) प्रत्येक स्वामी किए गए पौध सुरक्षा उपायों का रजिस्टर प्ररूप झ में अनुरक्षित करेगा।

(6) प्रत्येक स्वामी निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के लिए प्ररूप ञ में एक निरीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

**9.** धारा 15 के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, निरीक्षण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ऐसे समय पर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, बागवानी पौधशाला में प्रवेश तथा उसका निरीक्षण करेगा तथा– निरीक्षण अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाली प्रकिया। धारा 15

(क) बागवानी पौधशाला में अनुरक्षित परिसरों, रिकॉर्ड, पौधे तथा पौध सामग्री की जांच कर सकता है तथा किसी प्रत्यापित प्रयोगशाला में विश्लेषण या परीक्षण हेतु मिट्टी अथवा पौध सामग्री के नमूने एकत्र कर सकता है। यदि परीक्षण परिणाम असंतोषजनक पाए जाते हैं, तो निरीक्षण अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को जिसमें अज्ञात वंशावली की पौध अथवा कीटों या रोगों से संक्रमित बागवानी पौधे और पौध सामग्री की उपस्थिति के सबंध में सूचित करेगा;

(ख) निरीक्षण के दौरान, यदि पाया जाता है कि फलीय पौधों का प्रवर्धन ऐसे सांकुर शाखा अथवा मूलवृंत से किया गया है, जो अधिनियम की धारा 13 के अधीन अनुमोदित नहीं हैं अथवा आयातित सामग्री की दशा में, उसके पास आयात अनुज्ञा पत्र या पादप स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, को नियम 4 के उप–नियम (2) के अनुसार अनुज्ञप्ति के रद्दकरण अथवा ऐसी सामग्री को नष्ट किए जाने की सिफारिश करेगा; और

(ग) प्ररूप ट में प्रेक्षणों, जांचो और सिफारिशों को अंतर्विष्ट करने वाली विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

प्ररूप क

*[देखिए नियम 3(2)]*

अनुज्ञप्ति जारी/नवीनीकरण हेतु आवेदन

सेवा में,

_____
_____
_____

| पौधशाला स्वामी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो |
|---|

महोदय,

मैं,श्री/श्रीमती_____पुत्र/पत्नी_____निवासी_____,ग्राम_____ _____खंड_____तहसील_____जिला_____में एक बागवानी पौधशाला स्थापित/संचालित करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया मुझे हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 के अधीन यथा अपेक्षित प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण प्रदान करने की कृपा करें। पौधशाला का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

1. स्वामी का विवरण (सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न/अपलोड करें):

| क्रम संख्या | स्वामी का नाम (पुत्र/पुत्री/पत्नी) | परिवार पहचान पत्र संख्या | आधार संख्या | मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर | ई–मेल आईडी | जिला | खंड | ग्राम | पिन कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

2. भूमि का विवरण (सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न/अपलोड करें):

| क्रम संख्या | भूमि दस्तावेज का प्रकार (बिक्री विलेख/पट्टा विलेख) | स्वामित्व (स्वयं की/पट्टे पर) | खसरा संख्या | कुल क्षेत्रफल (एकड़) | पट्टा अवधि (वर्षों में), यदि लागू हो | ग्राम | खंड | जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | | | |

3. बागवानी पौधे तथा पौध सामग्री का विवरण:

| क्रम संख्या | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म | मातृ पौधों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | |

4. आवेदन शुल्क का विवरण:

| भुगतान का ढंग | तिथि | राशि | प्रमाण संलग्न (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|
| | | | |

5. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

(1) स्वामी का पता प्रमाण (परिवार पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट अथवा राज्य/भारत सरकार द्वारा पता प्रमाण के रूप में अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज)।

(2) भूमि संबंधी दस्तावेज (पट्टा विलेख/बिक्री विलेख) अथवा राज्य सरकार; द्वारा अधिसूचित अन्य प्रमाण पत्र जहां बागवानी पौधशाला स्थापित की गई है या की जानी है)।

(3) पौधशाला प्रबंधन से संबंधित न्यूनतम एक सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।

(4) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से मृदा को मृदा–जनित रोगकारकों से मुक्त होने की परीक्षण रिपोर्ट।

6. स्वघोषणाः–

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।
2. मैं अधिनियम की धारा 11 तथा 12 में वर्णित सभी कर्तव्यों का पालन करूँगा/करूँगी।
3. मैंने अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया है और अधिनियम में दी गई सभी शर्तों तथा नियमों, जो समय–समय पर संशोधित किए जाएं, का पालन करने का संकल्प करता/करती हूँ।
4. मैं केवल गुणवत्तापूर्ण पौधों का विक्रय करूँगा/करूँगी। मैं पौधशाला में विक्रय किए जाने वाले बागवानी पौधों और पौध सामग्री के लिए स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

मैंने अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया है और उनमें उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांकः_____

स्थानः_____

(आवेदक के हस्ताक्षर तथा नाम बड़े अक्षरों में)
फोन नंबर एवं ईमेल आईडी सहित पता

प्ररूप ख

*[देखिए नियम 3(6)]*

निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने, (नाम तथा पदनाम) _____ने दिनांक_____ को बागवानी पौधशाला का निरीक्षण किया। पौधशाला श्री/श्रीमती _____(आवेदक का नाम तथा पता) द्वारा संचालित की जा रही है/की जाएगी तथा मेरे व्यक्तिगत अवलोकन के अनुसार कथित किया जाता है किः–

1. आवेदक के पास_____एकड़ क्षेत्रफल में बागवानी पौधशाला है।

2. निरीक्षण के समय पौधों तथा पौध सामग्री की स्थिति निम्नानुसार हैः–

| क्रम संख्या | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म | मातृ पौधों की संख्या | पौधों की स्थिति | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | |

3. पौधशाला कीट तथा रोगों से मुक्त रखी गई है/नहीं रखी गई है।

4. बागवानी पौधों तथा पौध सामग्री की अच्छी स्थिति बनाए रखी गई है/नहीं रखी गई है।

5. पौधशाला की स्थापना/संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना युक्तियुक्त है/नहीं है, कारण निम्नानुसार हैंः _____

6. आवेदक द्वारा प्ररूप क में दी गई जानकारी सही है / सही नहीं है।

7. उपरोक्त निरीक्षण के आधार पर, मैं अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीनीकरण हेतु अनुशंसा करता हूँ/नहीं करता हूँ। यदि अनुशंसा नहीं की जाती, तो कारणः_____

दिनांकः_____

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम_____
कार्यालय की मोहर

प्ररूप ग

*[देखिए नियम 3(7)]*

बागवानी पौधों तथा पौध सामग्री हेतु अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण

| पौधशाला स्वामी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो |
|---|

अनुज्ञप्ति संख्याः_____ जारी करने की तिथिः_____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पताः_____श्री/श्रीमती_____ पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ग्राम_____ब्लॉक_____तहसील_____जिला_____

पौधशाला का नाम_____ आवेदन संख्या_____

उपरोक्त बागवानी पौधशाला को निम्नलिखित श्रेणियों, किस्मों तथा उपकिस्मों की बागवानी पौधों तथा पौध सामग्री हेतु अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण प्रदान किया जाता हैः–

| क्रम संख्या | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म |
|---|---|---|---|
| | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | |
| टिप्पणः केवल फलीय पौधों के मामले में ही किस्म तथा उपकिस्मों का उल्लेख करें। | | | |

यह अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण दिनांक_____से _____तक वैध रहेगी। अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः–

1. अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11 तथा 12 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
2. स्वामी इस व्यवसाय को इमानदारी तथा निष्पक्ष रीति में संचालित करेगा।
3. स्वामी अधिनियम तथा नियमों के अधीन अनुरक्षित की जाने वाली अपनी अनुज्ञप्ति, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख सक्षम प्राधिकारी अथवा उस द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की मांग पर प्रस्तुत करेगा।
4. स्वामी अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध की चोरी के अपवंचन या अतिलंघन की अनुमति नहीं देगा तथा किसी अपवंचन या अतिलंघन जो उसकी जानकारी में आया है को सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
5. स्वामी, सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के अनुसार उसे जारी किए गए निर्देशों का शीघ्र अनुपालन करेगा।
6. स्वामी अधिनियम तथा नियमों की अद्यतन प्रति पौधशाला में रखेगा।
7. अनुज्ञप्ति को पौधशाला परिसर में किसी प्रमुख तथा सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा जो जनता के लिए खुला होगा।
8. पौधशाला में भंडार तथा कीमत प्रदर्शित की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर सहित

प्ररूप घ

*(देखिए नियम 7)*

अपील

सेवा में,

अपील प्राधिकारी /अपर मुख्य सचिव,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा सरकार।

विषयः हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 की धारा 10 की उप–धारा (1) के अधीन अपील।

संदर्भः

1. सक्षम प्राधिकारी का आदेश संख्या _____दिनांक_____(प्रति संलग्न)।
2. आवेदन फीस का विवरणः

| भुगतान का ढंग | तिथि | राशि | प्रमाण संलग्न (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|
| | | | |

मैं क्रमशः मामले के संक्षिप्त तथ्य तथा अपील के आधार प्रस्तुत करता हूँ।

संक्षिप्त तथ्य और अपील के आधारः

1. _____

2. _____

दिनांकः_____

स्थानः_____

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम बड़े अक्षरों में
फोन नंबर एवं ईमेल आईडी सहित पता

प्ररूप ङ

*[देखिए नियम 8(1)]*

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला अनुज्ञप्ति का रजिस्टर

| क्रम संख्या | स्वामी का नाम (पुत्र/पुत्री/पत्नी) | परिवार पहचान पत्र संख्या | आधार संख्या | मोबाइल संख्या | ई–मेल आईडी | पौधशाला का नाम | पता | पौधशाला का क्षेत्रफल (एकड़) | अनुज्ञप्ति संख्या | अनुज्ञप्ति जारी/नवीनीकरण/परिवर्धन /अस्वीकृति की तिथि | अनुज्ञप्ति की समाप्ति तिथि | अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | | | | | | | | | |

प्ररूप च

*[देखिए नियम 8 (2)]*

पौधशाला पौधों का विक्रय रजिस्टर

अनुज्ञप्ति संख्या _____ जारी करने की तिथि_____वैधता अवधि _____ तक

पौधशाला का नाम तथा पता _____

| क्रम संख्या | क्रेता का नाम तथा पता | विक्रय किए गए पौधे | | | प्रयुक्त मूलवृन्त (केवल फलीय पौधों के लिए) | विक्रय किए गए पौधों की संख्या | प्रति पौधा दर | प्रभारित कुल कीमत | जारी रसीद संख्या तथा तिथि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | | | | | |

प्ररूप छ

*[देखिए नियम 8(3)(क)]*

मूलवृन्त तथा सांकुर शाखा स्रोत रजिस्टर

(केवल फलीय पौधों के लिए)

अनुज्ञप्ति संख्या _____ जारी करने की तिथि_____वैधता अवधि _____ तक

पौधशाला का नाम तथा पता _____

| क्रम संख्या | तिथि | सामग्री का प्रकार (मूलवृन्त / सांकुर शाखा) | वनस्पति नाम तथा स्थानीय नाम | उपकिस्म | स्रोत का नाम तथा पता | संपर्क (दूरभाष / ईमेल) | प्रवर्धन ढंग | आयु (मास / वर्षों में) | मात्रा (पौधों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | | | | |

प्ररूप ज

*[देखिए नियम 8(4)]*

विक्रय रसीद

अनुज्ञप्ति संख्या _____

पौधाशाला का नाम तथा पता _____

पुस्तिका संख्या_____रसीद संख्या_____ दिनांक_____श्री/श्रीमती _____ रुपये _____(रूपये _____ केवल) की राशि जो कि बागवानी पौधशाला पौधों की बिक्री के मद्दे प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म | मात्रा | दर (रु.) | राशि (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | | | |

पौधशाला स्वामी के हस्ताक्षर

प्ररूप झ

*[देखिए नियम 8(5)]*

पौधा संरक्षण उपायों का रजिस्टर

अनुज्ञप्ति संख्या _____ जारी करने की तिथि _____ वैधता अवधि _____ तक

पौधशाला का नाम तथा पता _____

| क्रम संख्या | तिथि | कीट/रोग का नाम | नियंत्रण (रासायनिक दवा का नाम कीटनाशकों की मात्रा) | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | |

प्ररूप ञ

*[देखिए नियम 8(6)]*

निरीक्षण रजिस्टर

अनुज्ञप्ति संख्या _____ जारी करने की तिथि _____वैधता अवधि _____ तक

पौधशाला का नाम तथा पता _____

| क्रम संख्या | निरीक्षण की तिथि | निरीक्षण अधिकारी का नाम तथा पदनाम | निरीक्षण अधिकारी के निर्देश | पौधशाला स्वामी द्वारा अनुपालन |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| यथापेक्षित पंक्तियाँ जोड़ें | | | | |

प्ररूप ट

*[देखिए नियम 9 (ग)]*

निरीक्षण रिपोर्ट

1. अनुज्ञप्ति संख्या:_____
2. बागवानी पौधशाला का नाम तथा पता:_____
3. निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम:_____
4. निरीक्षण की तिथि:_____
5. विद्यमान पौध भंडार का विवरण:_____

| क्रम संख्या | श्रेणी | किस्म | उपकिस्म | पौधों की संख्या | पौधों की स्थिति | दृश्यमान लक्षण (यदि हों) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

6. क्रय तथा विक्रय का पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित है: हाँ/नहीं
7. क्या अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है? (यदि हाँ, तो विवरण दें):_____
8. पिछला निरीक्षण कब किया गया था: _____
9. क्या पौधशाला को सही प्रकार से अनुरक्षित किया गया है: हाँ/नहीं
10. क्या कोई कीट या रोग के लक्षण पाए गए हैं: हाँ/नहीं
11. क्या कोई अज्ञात वंशावली की पौध सामग्री पाई गई: हाँ/नहीं
12. मूलवृंत और सांकुरी शाखा का अभिलेख उपलब्ध है: हाँ/नहीं
13. प्रत्येक फलीय पौधे पर क्यू आर कोड या जलरोधक लेबल है: हाँ/नहीं
14. प्रदर्शन बोर्ड (हरे पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर) उपलब्ध है: हाँ/नहीं
15. प्रयोगशाला परीक्षण हेतु लिए गए नमूने: हाँ/नहीं
    यदि हाँ, तो प्रकार: मिट्टी/पौधा, नमूना आईडी वर्णित करें _____
16. सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश:
    अनुज्ञप्ति जारी/नवीनीकरण/संचालन हेतु उपयुक्त है/नहीं है
    संक्रमित/अज्ञात वंशावली/अनधिकृत पौध सामग्री को नष्ट करने की सिफारिश: हाँ/नहीं
17. सामान्य टिप्पणियाँ: _____

दिनांक: _____

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम: _____

कार्यालय की मोहर

---

विजयेन्द्र कुमार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

**Notification**

The 30th June, 2026

**No. 848-Agri.II (5)-2026/3956.—** In exercise of the powers conferred under section 22 of the Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 (17 of 2025), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and commencement.

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Horticulture Nurseries Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires; —

(a) "Act" means the Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 (17 of 2025) ;

(b) "form" means a form appended to these rules;

(c) "pest" means any biotic agent capable of causing any injury or damage to plants and plant products and include any form or stage of insects, mites, snails, slugs, worms, nematodes, algae, fungi, protozoa, bacteria, actinomycetes, viruses, viroids and molecutes and also include genetically engineered or modified organisms and weeds;

(d) "infection" means contamination by any insect, fungus or other pest injurious to a crop;

(e) "un-authorized horticulture nursery" means a horticulture nursery being run without a license;

(f) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Procedure of grant of license or renewal, fees and documents.

section 4 and 5

**3.** (1) The owner shall apply for a license under the Act which shall be issued category-wise, based on the type of horticulture plants and planting material proposed to be propagated or sold by the owner. In case of fruit plants, the owner shall clearly specify the kind and variety in the application. However, for all other categories such as vegetables, tubers, spices, condiments, flowers, ornamental plants, medicinal and aromatic crops, or such other plants as the Government may, by notification, declare to be horticulture plants, the license shall be issued category-wise only without requiring details of individual kinds and varieties. The license shall be valid only for the approved categories and in case of fruit plants, for specific kinds and varieties, as mentioned in the license.

(2) An application for a license shall be made online at hortharyana.gov.in in Form A alongwith a license fee of twenty thousand rupees in case of fruit plants and ten thousand rupees in case of plants other than fruit plants. In case license is refused, the fee shall be refunded after deducting five percent of the fee paid towards processing cost.

(3) Any person desiring to get a renewal of license shall make an application online on the referred website in Form A not less than thirty days before the date of expiry of the license alongwith a renewal fee of ten thousand rupees in case of fruit plants and five thousand rupees in case of plants other than fruit plants. In case the renewal of license is refused, the fee shall be refunded, after deducting five percent of the fee paid towards processing cost. In case owner applies for renewal after expiry of thirty days, then an additional amount of two thousand rupees shall be charged as a late fee.

(4) Every such application for grant of licence/renewal shall be accompanied by the following documents, namely :-

(a) address proof (Parivar Pehchan Patra/Aadhaar Card/Driving Licence/Passport of owner; or any other document notified as proof of address by the State Government or Government of India);

(b) land documents (lease deed/sale deed) or any other document notified as proof of land by the State Government, where horticulture nursery is established or to be established.

(5) Every application for grant or renewal of a licence shall be considered only if the owner complies with the following minimum standards, namely :-

(a) have minimum twenty-five number of mother plants of known pedigree for a particular fruit crop for which license is applied;

(b) have a minimum of 1000 (One Thousand) square metres of owned land or registered leased land for a minimum period of 3 (Three) years for plants other than fruit plants, and have a minimum of 1.0 (One) acre of owned land or registered leased land for a period of not less than 10 (Ten) years for fruit plants;

(c) submit a certificate of at least one week training from Department of Horticulture i.e. Horticulture Training Institute/Centres of Excellence, any institute of Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural/Horticultural Universities in respect of nursery management;

(d) submit a report of soil tested free of soil borne pathogens from a recognized laboratory.

(6) The competent authority shall, on receipt of the application for new license or renewal, inspect the horticulture nursery either by himself or through any officer authorized by him. The inspecting officer shall submit the report of the inspection online in Form B.

(7) On reporting of the inspecting officer, the competent authority may, if satisfied that the applicant fulfils the conditions, grant a license/renewal in Form C, which shall be available on the referred website of the department for downloading.

(8) If competent authority is not so satisfied, it may refuse the issue of license/renewal and shall in its order give reasons for such refusal, which shall be available on the referred website for downloading.

(9) Every order granting or refusing a license/renewal shall be made within a period of ninety days from the date of the receipt of the application.

(10) Horticulture nursery owned by the State Government or the Central Government or corporate bodies of the State and Central Government shall be mandatorily required to register in accordance with the provisions of these rules.

(11) Every license or renewal granted under these rules shall be valid for a period of five years from the date of issue and may be renewed for a further period of five years, subject to fulfilment of conditions laid down in the Act and these rules. The owner shall be required to apply for renewal subsequently after every five years to continue the validity of the license.

(12) The Government may, if considered necessary, by notification, revise the licence fee, renewal fee and duplication fee prescribed under these Rules every five years, so as to maintain their real value.

Suspension or cancellation of licence or destroy horticulture plant and plant material.
section 7

**4.** (1) The competent authority may suspend or cancel any licence granted or renewed under this Act on any one or more grounds in addition to the grounds mentioned from clause (a) to clause (f) of sub-section (1) of section 7 of the Act, namely :-

(a) if the owner has been conducting the business in a fraudulent manner;

(b) if the owner sells poor quality or infected horticulture plants and plant material;

(c) if the plant material sold is found not to be genuine and of same type as mentioned in the bill/invoice;

(d) in case the owner has failed to carry out any written orders issued by the competent authority or inspecting officer time to time for improving the conditions of the horticulture nursery;

(e) if the owner denies entry to the competent authority, inspecting officer or any person authorized by them into the premises of the horticulture nursery.

(2) The competent authority or any person authorized by him, along with the inspecting officer, may, under sub-section (4) of section 7, order the destruction of the whole or part of any horticulture plant or plant material that is of unknown pedigree or that, upon visual assessment, is found to be infected with pests and diseases deemed non-recoverable by any means, based on the report submitted by the inspecting officer to the competent authority or the authorized person.

(3) The entire process of identification and destruction shall be documented through videography with embedded GPS coordinates and other digital means to ensure transparency and the videography which shall :-

(a) start with a brief by the competent authority or any person authorized by him;
(b) show the infected plant material and visible symptoms;
(c) record the entire destruction process;
(d) store the data in a secured digital format and retain for at least one year from the date of destruction and shall be made available to the appellate authority or courts, upon request:

Provided that where proceedings are pending before the court or authority, or where a decision is awaited, the retention period may be extended until the final disposal of such proceedings or decision.

Destruction of un-authorized horticulture nursery. section 4 and 7

**5.** The competent authority or any officer authorised by him, may on receiving any information or suo-motu founds that a horticulture nursery is being run without obtaining a license, order the destruction of such un-authorised horticulture nursery.

Issue of duplicate license. section 9

**6.** If a physical copy of license granted to any owner is lost, destroyed, mutilated or damaged, the competent authority shall issue a duplicate license on receipt of application online or physical alongwith payment of a fee of one hundred rupees.

Appeal. section 10

**7.** Any person aggrieved by an order of a competent authority refusing to grant or renew a licence or suspending or cancelling a licence, may appeal under sub-section (1) of section 10 online on the referred website in Form D within forty-five days of passing the order to the appellate authority. The application shall be accompanied with a non-refundable fee of one thousand rupees.

Record and data maintenance. section 11 and 12

**8.** (1) The competent authority shall maintain a digital record or register in Form E, including the names of the persons to whom such licences have been granted, renewed or refused.

(2) Every owner shall keep a complete record of sale and purchase of horticulture plant and plant material either in physical or digital mode in Form F which may be produced upon inspection by competent authority or any person authorized by him or inspecting officer.

(3) Every owner of a horticulture nursery engaged in production and sale of fruit plants shall—

(a) maintain a detailed record of source of rootstock and scion in Form G, including botanical name and source of origin;
(b) display the plant stock and price structure on a board in the local language, with green background and white font, placed at a conspicuous place in the horticulture nursery;
(c) ensure that each fruit plant or plant material sold includes a water-resistant label or QR code indicating variety name, age, source, and rootstock details.
(4) Every owner shall issue a sale receipt to the buyer in Form H.
(5) Every owner shall maintain a register of plant protection measures undertaken in Form I.

(6) Every owner shall maintain an inspection register in Form J for giving instructions by the inspecting officer.

Procedure to be followed by the Inspecting Officer. section 15

**9.** While complying with the provisions of section 15, the inspecting officer along with any person authorized by the competent authority shall, at such time as may be specified by the competent authority from time to time, enter and inspect the horticulture nursery and may—

(a) examine the premises, records, plants and plant material maintained in the horticulture nursery, and collect soil or plant samples for analysis or testing in an accredited laboratory. If the test results are found to be unsatisfactory, the inspecting officer shall inform the competent authority regarding the presence of any horticulture plant or plant material of unknown pedigree or any horticulture plant and plant material infected with pests or diseases;
(b) verify the propagation material during inspection, and if any fruit plants are found to be propagated from scion or rootstock not approved under section 13 of the Act, or found lacking an import permit or phytosanitary certification in the case of imported material, recommend to the competent authority the rejection of licence or destruction of such material as per sub-rule (2) of rule 4; and
(c) prepare a detailed inspection report in Form K, containing observations, findings and recommendations, and submit the same to the competent authority.

FORM A

*[see rule 3(2)]*

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE / RENEWAL

To

_____

_____

_____

Recent colored passport size photograph of nursery owner

Sir,

I, Shri/Smt. _____ S/o/W/o _____ R/o _____, wish to establish/conduct a horticulture nursery in village _____ block _____tehsil _____ district _____. I may kindly be granted a licence/renewal for this purpose as required under the Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025. The detailed particulars of the nursery are given below.

1. Details of the Owner (attach/upload self-attested copies of relevant documents):

| Serial Number | Name of Owner (S/o, D/o, W/o) | Parivar Pehchan Patra No. | Aadhaar No. | Mobile No./Landline No. | Email ID | District | Block | Village | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

2. Land Details (attach/upload self-attested copies of relevant documents):

| Serial Number | Type of Land Document (Sale Deed / Lease Deed) | Ownership (Owned / Leased) | Khasra No. | Total Area (Acre) | Lease Period (in years), if applicable | Village | Block | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | | | |

3. Details of horticulture plant and plant material:

| Serial Number | Category | Kind | Variety | Number of Mother Plants |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Add rows as required | | | | |

4. Particulars of application fee:

| Mode of Payment | Date | Amount | Proof attached (Yes/No) |
|---|---|---|---|
| | | | |

5. The documents to be enclosed with application:

   1. Address proof (Parivar Pehchan Patra/Aadhar Card/Driving Licence/Passport of owner; or any other document notified as proof of address by State Government or Government of India.
   2. Land documents (lease deed/sale deed) or any other document notified as proof of land by the State Government, where horticulture nursery is established or to be established.

3. Certificate of at least one week training in respect of nursery management.

4. Report of soil tested free of soil borne pathogens from a recognized laboratory.

**6.** Self-declaration

1. I hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

2. I will follow all the duties mentioned in sections 11 and 12 of Act.

3. I have read the Act and Rules made there under and undert ake to fulfill all the conditions prescribed in the Act and Rules as may be amended from time to time.

4. I under take to sell only quality plants. I will be solely responsible for sale of the horticulture plant and plant material in the nursery.

I have read the Act and the rules framed there under and shall abide by all the conditions mentioned therein.

Date:

Place:

(Signature of the Applicant and Name in Block letters)
Address with phone no. and email id.

FORM B

*[see rule 3(6)]*

REPORT OF THE INSPECTING OFFICER

I, (Name and Designation) _____, have inspected the horticulture nursery on _____. The horticulture nursery is/shall be operated by Shri/Smt. _____ (Applicant Name and Address) and on my personal observation state that :-

1. The applicant has an area (acre) of_____ under horticulture nursery.

2. The position of horticulture plants and plant material at the time of inspection is as under:-

| Serial Number | Category | Kind | Variety | Number of Mother Plants | Condition of plant | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | |

3. The nursery has been kept /has not been kept free from the pests and diseases.

4. The good condition of horticulture plants and plant material are maintained/not maintained.

5. License to be given for establishment/ operation of nursery is reasonable/is not, reason are as follows: _____

6. The information supplied by the applicant in Form A is / is not correct.

7. On the basis of the above inspection, I am recommended/not recommended to issue a fit case for grant/ renewal of license, If not recommended reasons thereof_____

Date_____

Signature of Inspecting Officer,

Designation_____

Seal of the Office

FORM C

*[see rule 3 (7)]*

LICENSE / RENEWAL FOR HORTICULTURE PLANTS AND PLANT MATERIAL

Recent colored passport size photograph of nursery owner

Licence No. _____ Date of Issue _____

Name and address of license holder Mr./Mrs._____ S/o, W/o, D/o _____Village _____ Block _____ District _____ Name of nursery _____ vide application no. _____.

The above horticulture nursery is hereby granted licence/renewal of the following categories, kinds and varieties of horticulture plants and plant material: -

| Serial Number | Category | Kind | Variety |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Add rows as required | | | |
| Note:- Mention kind & varieties only in case of fruit plants. | | | |

This license/renewal is valid from_____ to _____. The license/renewal shall be subject to the following conditions:-

1. The licensee shall not contravene any of the provisions of the Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 or the Rules framed there-under and shall in particular carry out the duties specified in Section 11 and 12.
2. The owner shall conduct this business honestly and in affair manner.
3. The owner shall produce his licence or the register and other records required to be maintained under this Act and the Rules framed there under on demand by the competent authority or any person authorized by it.
4. The owner shall not permit evasion or infringement of any of the provisions of the Act or Rules framed there under and shall report to the competent authority any evasion or infringement which comes to his knowledge.
5. The owner shall promptly comply with the instructions issued to him in accordance with the Rules by the competent authority or by any person authorized by it.
6. The owner shall keep an updated copy of the Act and Rules
7. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in nursery premises open to the public.
8. The stock and price should be displayed in the nursery.

Signature of Competent Authority
With official seal

FORM D

*(see rule 7)*

APPEAL

To

The Appellant Authority/Additional Chief Secretary,
Agriculture and Farmers Welfare Department,
Government of Haryana.

Subject: Appeal under subsection (1) of section 10 of The Haryana Horticulture Nurseries Act-2025.

Reference:

1) Order No. _____ Date: _____ from the Competent Authority _____ (Copy Enclosed).

2) Particulars of application fee:

| Mode of Payment | Date | Amount | Proof attached (Yes/No) |
|---|---|---|---|
| | | | |

I respectively submit the brief facts of the base and grounds of appeal.

Brief facts and grounds:

1)_____

2)_____

Date: _____

Place: _____

(Signature of the Applicant and Name in Block letters)
Address with phone no. and email id.

FORM E

*[see rule 8 (1)]*

REGISTER OF LICENCES TO BE MAINTAINED BY THE COMPETENT AUTHORITY

| Serial Number | Name of Owner (S/o, D/o, W/o) | Parivar Pehchan Patra No. | Aadhaar No. | Mobile No. | Email ID | Name of the Nursery | Address | Area of nursery (acres) | License No. | Date of issue of license/renewal/addition/ refusal | Date of expiry of license | License granted for | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Category | Kind | Variety |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | | | | | | | | | |

FORM F

*[see rule 8 (2)]*

SALE REGISTER OF NURSERY PLANTS

Licence No. _____Issue date_____ valid up to _____

Name and address of Nursery _____

| Serial Number | Name and Address of the Purchaser | Plants sold | | | Rootstock used (Only for fruit plants) | No. of plants sold | Rate per plant | Total price charged | No. and date of issued receipt | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Category | Kind | Variety | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | | | | | |

FORM G

*[see rule 8 (3, a)]*

ROOTSTOCK AND SCION SOURCE REGISTER

(Only for fruit plants)

License No. _____Issue date_____ valid up to _____

Name and address of Nursery _____

| Serial Number | Date | Material Type (Rootstock/Scion) | Botanical name with local name | Variety | Source Name and address | Contact (Phone / Email) | Propagation Method | Age (months / years) | Quantity (No. of plants) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | | | | |

FORM H

*[see rule 8 (4)]*

SALE RECEIPT

License No. _____

Name and address of Nursery _____

Book No.: _____ Receipt No.: _____ Date: _____Received from Mr./Mrs. _____a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) on account of sale of horticulture nursery plants, details of which are given below:

| Serial Number | Category | Kind | Variety | Quantity | Rate (Rs.) | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Add rows as required | | | | | | |

Signature of the nursery owner

FORM I

*[see rule 8 (5)]*

REGISTER FOR PLANT PROTECTION MEASURES

License No. _____Issue date_____ valid up to _____

Name and address of Nursery _____

| Serial Number | Date | Names of insect/disease | Control (name and quantity of chemical pesticides) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Add rows as required | | | | |

FORM J

*[see rule 8 (6)]*

INSPECTION REGISTER

License No. _____Issue date_____ valid up to _____

Name and address of Nursery _____

| Serial Number | Date of inspection | Name and Designation of Inspecting Officer | Instructions of Inspecting Officer | Compliance by Nursery Owner |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Add rows as required | | | | |

FORM K

*[see rule 9 (c)]*

INSPECTION REPORT

1. License No. _____
2. Name and address of the horticulture nursery _____
3. Name and Designation of the Inspecting Officer _____
4. Date of Visit _____
5. Details of existing stock:

| Serial Number | Category | Kind | Variety | No. of Plants | Condition of Plant | Visible Symptoms (if any) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

6. Complete sales and purchase record maintained: Yes / No
7. Has the licensee contravened any of the provisions of the Act or Rules framed there under (If so, details may be given) _____
8. When was the last inspection made _____
9. Whether the nursery is maintained properly: Yes / No
10. Presence of pest or disease symptoms: Yes / No
11. Any plant or plant material of unknown pedigree found: Yes / No
12. Rootstock and scion documentation available: Yes / No
13. QR code/waterproof label on each fruit plant: Yes / No
14. Display board (green background, white font): Yes / No
15. Samples collected for lab testing: Yes / No

    If Yes, mention type: Soil / Plant/ Sample ID: _____
16. Recommendation to Competent Authority:

    Fit / Not fit for continuation/grant/renewal of license

    Destruction of infected/unknown pedigree/unauthorized plant material recommended: Yes / No
17. General Remarks _____

Date_____

Signature of Inspecting Officer,

Designation_____

Stamp of the Office

VIJAYENDRA KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.

12711—C.S.—H.G.P., Pkl.